फा. सं. 20/1/87-हिंदी

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

(हिंदी अनुभाग)

****

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

दिनांकः 17.04.2025

कार्यालय ज्ञापन

विषयः सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए लागू प्रोत्साहन योजनाएं।

परिषद के महानिदेशक सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परिषद मुख्यालय में तीन प्रोत्साहन योजनाएं वर्ष 2025-26 (दिनांक 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक) के लिए लागू करते हैः-

2. **परिषद मुख्यालय की योजनाः** इस योजना में भाग लेने वाले कर्मचारियों को एक वर्ष में (दिनांक 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक) कम से कम **30,000 शब्द** हिंदी में लिखने होंगे। इस योजना के अंतर्गत निम्नानुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगेः-

प्रथम पुरस्कार (दो) = प्रत्येक 5000/- रुपये
द्वितीय पुरस्कार (तीन) = प्रत्येक 4000/- रुपये
तृतीय पुरस्कार (पांच) = प्रत्येक 3000/- रुपये

3. **भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा परिचालित प्रोत्साहन योजनाः** यह योजना भी वर्ष 2025-26 के लिए लागू की जा रही है। इस योजना में भाग लेने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों को एक वर्ष में (दिनांक 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक) कम से कम **20,000 शब्द** हिंदी में लिखने होंगे। इस योजना के अंतर्गत निम्नानुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगेः-

प्रथम पुरस्कार (दो) = प्रत्येक 5000/- रुपये
द्वितीय पुरस्कार (तीन) = प्रत्येक 3000/- रुपये
तृतीय पुरस्कार (पांच) = प्रत्येक 2000/- रुपये

4. **परिषद की तकनीकी योजनाः** उक्त दोनों प्रोत्साहन योजनाओं के अलावा, परिषद के वैज्ञानिक प्रभागों के कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त प्रोत्साहन योजना भी वर्ष 2025-26 के लिए लागू की गई है। इसके अंतर्गत परिषद के वैज्ञानिक प्रभागों में कार्यरत कर्मचारियों को एक वर्ष में (दिनांक 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक) कम से कम **5000 शब्द** हिंदी में लिखने होंगे। इस प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नानुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगेः-

10 पुरस्कार = प्रत्येक 2000/- रुपये

यदि उक्त योजना के अंतर्गत तकनीकी प्रभागों से कार्य की जांच करवाने वाले या इस योजना की शर्तों के अधीन काम करने वाले कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते है, तो इस योजना के पुरस्कार अन्य प्रभागों/अनुभागों के कर्मचारियों को दे दिये जाएंगे।

क्रमशः 2

5. **हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने वाले अधिकारी का पुरस्कार:** उक्त तीनों प्रोत्साहन योजनाओं के अलावा, परिषद मुख्यालय में हिंदी में **डिक्टेशन देने वाले अधिकारी** के लिए एक अतिरिक्त प्रोत्साहन योजना भी वर्ष 2025-26 के लिए लागू की गई है। हिंदी में डिक्टेशन देने वाले अधिकारी के पुरस्कार हेतु ऐसे अधिकारी जिनके अधीन आशुलिपिक उपलब्ध हैं या जो सामान्यत: डिक्टेशन देते हैं। इस योजना में भाग ले सकते हैं। इच्छुक अधिकारीगण कृपया अपने हिंदी पत्रों का ब्यौरा रखें ताकि संबंधित योजना में भाग ले सकें।

पुरस्कार राशि = 5000/- रुपये

अत: इन प्रतियोगियाओं में परिषद मुख्यालय के वे सभी स्थाई अधिकारी / कर्मचारी (हिंदी संबंधी पदों को छोड़कर) भाग ले सकते हैं, और इसमें टिप्पण प्रारूपण के अलावा हिंदी में किए गए अन्य कार्य जिसका सत्यापन किया जा सके जैसे रजिस्टर में इन्दराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम, कंप्यूटर पर हिंदी में काम आदि भी शामिल किए जाएंगे। वर्ष की समाप्ति पर प्रतिभागी अपने किए गए हिंदी कार्य का विवरण अपने उच्चाधिकारी / प्रशासन अधिकारी के माध्यम से हिंदी अनुभाग को भेजेंगे। कार्य का मूल्यांकन इस निमत गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

यह कार्यालय ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

वंदना

(डॉ. वंदना शर्मा)
उप. निदेशक (रा.भा.)

वितरण:-

1. महानिदेशक कार्यालय
2. वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.) कार्यालय
3. वरि. वित्त सलाहकार कार्यालय
4. उपमहानिदेशक (प्रशा.)
5. सहा. महानिदेशक (प्रशा.)
6. सभी वरि. प्रशा. / लेखा अधिकारी / प्रशा. / लेखा अधिकारी
7. सभी प्रभाग प्रमुख एवं समस्त प्रभाग / अनुभाग
8. सूचना पट्ट
9. बीआईसी - वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. निदेशक (रा.भा.), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली - सूचनार्थ